



सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

31 मार्च 2018 को समाप्त छमाही / वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

| विवरण | 31.03.2018 | पिछले वर्ष | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | को समाप्त छमाही | को समाप्त तदनुरूपी छमाही | को समाप्त चालू अवधि | को समाप्त पिछला |
| | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) | के लिए वर्षांत आँकड़े | लेखावर्ष |
| | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) |
| 1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ) | 3275 | 3001 | 6180 | 6071 |
| (क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | 3072 | 2849 | 5822 | 5708 |
| (ख) निवेशों पर आय | 39 | 5 | 54 | 22 |
| (ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज | 164 | 147 | 304 | 341 |
| (घ) अन्य | - | - | - | - |
| 2. अन्य आय | 279 | 134 | 420 | 275 |
| 3. कुल आय (1+2) | 3554 | 3135 | 6600 | 6346 |
| 4. ब्याज व्यय | 2198 | 1967 | 4083 | 4046 |
| 5. परिचालन व्यय (i)+(ii) | 288 | 269 | 510 | 533 |
| (i) कर्मचारी लागत | 215 | 203 | 379 | 407 |
| (ii) अन्य परिचालन व्यय | 73 | 66 | 131 | 126 |
| 6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5) | 2486 | 2236 | 4593 | 4579 |
| 7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6) | 1068 | 899 | 2007 | 1767 |
| 8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय * | 24 | 15 | 45 | 80 |
| 9. असाधारण मदें | - | - | - | - |
| 10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/ हानि (-) (7-8-9) | 1044 | 884 | 1962 | 1687 |
| 11. कर संबंधी व्यय @ | 236 | 366 | 533 | 567 |
| 12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ(+)/ हानि(-) (10-11) | 808 | 518 | 1429 | 1120 |
| 13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर) | - | - | - | - |
| 14. अवधि का निवल लाभ (+)/ हानि (-) (12-13) | 808 | 518 | 1429 | 1120 |
| 15. चुकता ईक्रेटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 16. आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) | 14078 | 12789 | 14078 | 12789 |
| 17. विश्लेषणात्मक अनुपात | | | | |
| (i) पूँजी पर्याप्तता अनुपात | 26.73% | 28.42% | 26.73% | 28.42% |
| (ii) प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस) | 15.19 | 9.72 | 26.87 | 21.47 |
| 18. गैर-निष्पादक आरिस्त अनुपात | | | | |
| क) गैर-निष्पादक आरिस्त की सकल राशि | 902.42 | 823.28 | 902.42 | 823.28 |
| ख) गैर-निष्पादक आरिस्त की निवल राशि | 250.63 | 302.25 | 250.63 | 302.25 |
| ग) सकल गैर-निष्पादक आरिस्त का % | 0.94 | 1.20 | 0.94 | 1.20 |
| घ) निवल गैर-निष्पादक आरिस्त का % | 0.26 | 0.44 | 0.26 | 0.44 |
| च) आरिस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात) | 0.82% | 0.66% | 1.61% | 1.42% |

*पुनरांकन पश्चात् निवल @ आस्थगित कर समायोजन पश्चात् निवल

टिप्पणियाँ:

- इन वित्तीय परिणामों की तैयारी में उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वही हैं, जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में उपयोग की गई थी।
- निदेशक मंडल ने दिनांक 12 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणामों को अनुमोदित किया।
- 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय' चल प्रावधान, निवेश मूल्यहास संबंधी प्रावधान तथा पुनर्संचित खातों के प्रावधान के प्रतिलेखन के बाद निवल प्रावधान है।
- भा.रि.बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर, गैर-निष्पादक आरिस्तियों, मानक आरिस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यहास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं। कर्मचारी लाभ सहित आयकर, आस्थगित कर तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान वर्षांत में किए गए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, बैंक ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप गैर-निष्पादक आरिस्त/गैर-निष्पादक निवेश हेतु विशिष्ट प्रावधान के लिए ₹ 315.60 करोड़ के चल प्रावधान का उपयोग किया है।
- निवल गैर-निष्पादक आरिस्तियों की गणना के लिए चल प्रावधान को नहीं लिया गया है। यदि चल प्रावधान को लिया जाए तो निवल गैर-निष्पादक आरिस्त शून्य होगी।
- निवेशकों से मिली शिकायतों की स्थिति : यथा 1 जनवरी, 2018 को कोई शिकायत निपटान के लिए शेष नहीं थी। चालू तिमाही के दौरान, निवेशकों से 01 शिकायत प्राप्त हुई थी। अतः यथा 31 मार्च, 2018 को 01 शिकायत निपटान के लिए लंबित है।
- 'बासेल III पूँजी विनियमों' पर भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जिसे 01 जुलाई, 2015 के भा.रि.बैंक के परिपत्र के साथ पढा जाना चाहिए, 31 मार्च, 2018 तक के समेकित स्तंभ 3 प्रकटीकरण (अलेखापरीक्षित), लीवरज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित बैंक की वेबसाइट www.sidbi.in पर उपलब्ध है।
- पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षा की है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

दिनांक : 12 मई, 2018

स्थान : नई दिल्ली

(मोहम्मद मुस्तफा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक